सं०सं०–16 / एम.1–72 / 2025

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

उपेन्द्र राम,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, ऐनेक्सी ब्लॉक 3, भूतल,
पुराना सचिवालय, पटना–800015

पटना, दिनांक–

विषयः– **मधुबनी जिला में कार्यरत नवनियुक्त होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारियों के द्वारा सिविल सर्जन कार्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा में बितायी गयी अवधि का विनियमन के संबंध में।**

प्रंसगः– **विशेष सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग का पत्रांक–PCFC/MED/RACS/ 2024/ 0640/2088(25) dated-27-12-2024**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि विज्ञापन संख्या–06 / 2020 के आलोक में बिहार तकनीकी सेवा आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या–303(आ.चि.), दिनांक–14.03.2024 द्वारा होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारियों को पूर्णतः औपबंधिक रूप से नियुक्त करते हुए 15 दिनों का चिकित्सीय प्रशिक्षण / जानकारी लेने हेतु विभिन्न जिलों में पदस्थापित किया गया।

आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने तथा भारत निर्वाचन आयोग से सहमति नहीं मिलने के कारण आदर्श आचार संहिता के समापन के उपरांत स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना सं0–744(आ.चि.), दिनांक–19.07.2024 द्वारा होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारियों को विभिन्न चिकित्सीय संस्थानों यथा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों / सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों / जिला संयुक्त औषधालयों / राजकीय औषधालयों / आयुष कॉलेज अस्पतालों आदि में पदस्थापित किया गया, जिसके आलोक में सभी होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारियों योगदान देकर कार्यरत है। इस प्रकार सभी होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी सिविल सर्जन कार्यालय में अनिवार्य पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहे, जिसमें उनका कोई दोष नहीं है।

विभागीय पत्रांक–1397(आ०चि०), दिनांक–20.12.2024 द्वारा नवनियुक्त चिकित्सकों के पदस्थापन की अनिवार्य प्रतीक्षा में बितायी गयी अवधि को कतिपय शर्तों के साथ विनियमन किया जा चुका है। वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग के प्रासंगिक पत्र के आलोक में जिन चिकित्सा पदाधिकारियों द्वारा विनियमन की शर्तें पूरी कर ली गयी हैं उनका समेकित विनियमन सूचना अवधि सहित निम्नवत है :–

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापन स्थल	अवधि जिनका विनियमन किया जाना है।	अवकाश उपभोग की सूचना / अनुपस्थिति	यदि वेतन पुर्जा निर्गत हो गया है, तो वेतन पुर्जा संख्या	यदि वेतन पुर्जा निर्गत नहीं हुआ है तो PRAN/ GPF संख्या	सेवा विनियमन के प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डा० सालेहा बसरी, होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारी	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गांगुली, बेनीपट्टी, मधुबनी	दिनांक– 15.03.2024 से 22.07.2024 तक ..130 दिन	–	05112425 055305	–	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि

02/04/2025

उक्त अवधि में उनकी कोटि का वेतन देय होगा।

प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं समक्ष प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/–

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक– 16/एम.1–72/2025 – 486 (आ॰ नि॰) **पटना, दिनांक–** 02.4.2026

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सिविल सर्जन, मधुबनी/कोषागार पदाधिकारी, मधुबनी/संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/ संबंधित होमियोपैथिक चिकित्सा पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

02/04/2026

सरकार के अवर सचिव